

**न्यायालय सहायक जज कदुमर (असत) राज.**

सरकार जदिये रिपोर्ट पटवारी हल्का रेवेरलीरेत बनाम जम्बूडा मौरिया मीना गदलावता  
 प्रकरण अन्तगत धारा 91 पलवात्र पृष्ठ

प्रकरण संख्या :- 54118

निर्णय दिनांक :- 31-12-18

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम गदलावता  
 की आ.ख.न. 761 कुल रकबा 0.22 किरम जमीन राष्ट्रा में से 750 वर्गफुट  
 रकबा पर की 0.22 पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर पत्रका  
जाकोपीय निर्माण कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का रेवेरलीरेत द्वारा दिनांक 1.6/8/18

को उसके विरुद्ध यान्त्रीक कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय साईव  
 भू.अ.निरी. रेवेरलीरेत के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया  
 जाकर अतिक्रमी जम्बूडा मौरिया जाति मीना निवासी गदलावता को भू.  
 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील  
 कराई गई। नोटिस वाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी

उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबा आ.ख.न. 761 रकबा 0.22 में से 750 वर्गफुट  
 रकबा किरम राष्ट्रा है जो नियमन के योग्य नहीं है दिहाजा मौरिया को अतिक्रमिल

रकबा से वेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं दण्ड स्वरूप लगान 10 Paisa का  
 50 गुणा 5/- रूपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांग कायमी हेतु टीआरए को लिखा

जावे, पैनल्टी वेदखली एवं वेदखली हेतु हल्का पटवारी रेवेरलीरेत भू.अ.निरी. रेवेरलीरेत  
 को लिखा जाकर वाद तकमील दाखिल दपतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में  
 सुनाया गया।

सहायक जज  
 कदुमर, असत (राज.)

अतिरिक्त :- प. ६

दि. 31.12.18 को 69...  
 2018-19 को 5/-

*(Handwritten Signature)*